

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>26 / 2026</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम नर्बदा 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 05.05.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त नर्बदा अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री सुनील पालीवाल के सहयोगी अधिवक्ता श्री विशाल बंसल उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा मुख्य अधिवक्ता के रिश्तेदार का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से आज उदयपुर होने से बहस अंतिम हेतु अवसर चाहा गया। प्रकरण में गत तारीख पेशी पर अधिवक्ता अभियुक्त को बहस अंतिम हेतु अंतिम अवसर दिया, उसके बावजूद भी अधिवक्ता अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस है। टारगेट प्रकरणों के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। न्यायहित में बहस अंतिम हेतु अवसर इस शर्त पर दिया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस नहीं करने पर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाएगा। अधिवक्ता अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखें। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम/निर्णय दिनांक 11.05.2026 को पेश हो।	